**लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**गौतम नगर, भोपाल 462023**
**दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651**
**ई–मेल dpinmp@sancharnet.in**

क्र.विद्या/टी/08/2701. भोपाल, दिनॉक 17/09/2008

प्रति,

1/ समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

2/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

3/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

4/ समस्त प्राचार्य
शास. शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

5/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश

6/ समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,मध्यप्रदेश

7/ समस्त प्राचार्य,
शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि.,मध्यप्रदेश

विषयः–शिक्षण सत्र 2008–09 हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त शास. हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों तथा प्रयोगशाला सहायकों/प्रभारी हेतु संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण तथा जिला स्तरीय प्रशिक्षण ।

सन्दर्भः–(1) लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र कमांक/विद्या/टी/08/1033 दिनॉक 02/08/2008

(2) पत्र कमांक/विद्या/टी/08/1080 दिनॉक 11/08/2008

(3) पत्र कमांक/विद्या/टी/08/1033 दिनॉक 02/08/2008

(4) पत्र कमांक/विद्या/टी/08/2046 दिनॉक 28/08/2008

(5) आयुक्त, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनॉक 26/08/2008 का कार्यवाही विवरण

(6) पत्र कमांक/विद्या/ई/08/2080 दिनॉक 09/09/2008

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र व्यवहारों का अवलोकन किया जाये। तदनुसार संभागों से कार्ययोजनाएँ भी प्राप्त हुई हैं। चूँकि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विज्ञान व गणित विषय के मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण नहीं किया जा रहा है तथा संभागीय संयुक्त संचालकों/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन भी चाहा गया

है। अतः संदर्भित प्रशिक्षण निर्देशों तथा संभागीय संयुक्त संचालकों से प्राप्त प्रशिक्षण कार्य योजनाओं के प्रकाश में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

**2/ संभाग स्तरीय समिति/ जिला स्तरीय समिति :–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के अनुसार प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाये:–

**(क) संभाग स्तरीय समिति:–**

| स.क्र. | सदस्य का नाम | पद |
|---|---|---|
| 01 | संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग | अध्यक्ष |
| 02 | प्राचार्य, शास.शिक्षा महाविद्यालय | उपाध्यक्ष |
| 03 | संभागीय मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य | सचिव |
| 04 | संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नामित एक सहायक संचालक | सदस्य |
| 05 | आंचलिक/संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल | सदस्य |

**(ख) जिला स्तरीय समिति :–**

| स.क्र. | सदस्य का नाम | पद |
|---|---|---|
| 01 | जिला शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
| 02 | प्राचार्य, जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान | उपाध्यक्ष |
| 03 | जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 04 | जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य | सचिव |
| 05 | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक सहायक संचालक/योजनाधिकारी | सदस्य |
| 06 | जिला अंतर्गत समस्त विकास खंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्य | सदस्य |

**3/ संभाग/जिला समिति के दायित्व :–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–03 अनुसार संभाग/जिला समिति के दायित्व पूर्वानुसार रहेंगे।

**4/ प्रशिक्षण के विषय:–**

प्रशिक्षण के विषय संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–04 अनुसार रहेंगे। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सागर के पत्र क्र. विद्या/प्रशि./08/2081, दिनॉक 09/09/08 के अनुसार सागर संभाग में कुल 23 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय की कक्षाएँ संचालित होने के कारण वाणिज्य विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण संभाग स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स के साथ

आयोजित किया जा रहा है। अतः यदि किसी अन्य संभाग में ऐसी स्थिति हो तो उक्त अनुसार प्रशिक्षण किया जा सकता है। इस स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारियों को जो राशि जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रदाय की गई है, उसमें से वाणिज्य विषयों के जिलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग किया जाये।

**5/ प्रशिक्षण अवधिः–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–05 अनुसार प्रशिक्षण अवधि चार दिवस की रहेगी।

**6/ प्रशिक्षण का स्थलः–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–06 अनुसार रहेगा। यह ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण से किसी विद्यालय का अध्ययन–अध्यापन कार्य प्रभावित न हो।

**7/ प्रशिक्षक/ स्त्रोत शिक्षक :–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–07 अनुसार प्रशिक्षक/ स्त्रोत शिक्षक की व्यवस्था की जाये। यथासंभव 40/50 प्रशिक्षणार्थियों के बैच पर 02 प्रशिक्षक/स्त्रोत शिक्षक नियुक्त किये जाये। संभागीय मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण /जिला प्रशिक्षण में विशेष स्थिति में बाह्‌य स्त्रोत शिक्षकों/विषय विशेषज्ञों को मानदेय दिया जा सकता है।

**8/ प्रशिक्षणार्थी का चयन :–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–08 अनुसार रहेगा। चयनित प्रशिक्षक/प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित संस्था के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

**9/ प्रशिक्षण सामग्री :–**

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा तैयार प्रशिक्षण सामग्री तथा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग– 01, 02 के इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु तैयार सामग्री की सी.डी. एवं हार्ड कापी संभागीय संयुक्त संचालकों को भेजी जा चुकी है। आवश्यकतानुसार इस सामग्री का उपयोग किया जाये।

**10/ प्रशिक्षण की पद्धतिः–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–10 अनुसार रहेगी।

**11/ मॉनीटरिंग :–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु–11 अनुसार मॉनीटरिंग का उत्तरदायित्व संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा।

**12/ वित्तीय व्यवस्था:–**

संभागीय संयुक्त संचालकों को आवश्यकतानुसार राशि चेक द्वारा दी जा चुकी है तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/ ई /08/2080 दिनॉक 09/09/2008 द्वारा शैक्षिक अभ्युत्थान हेतु स्वीकृत राशि रू. 81,00,000/–(रू. इक्यासी लाख केवल) जिलेवार वंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वर्ष 2007–08 में कक्षा 09 एवं 11 के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि में से संभाग/जिला में जो अप्रयुक्त राशि शेष है, उस राशि का उपयोग भी प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करेंगे। प्रशिक्षण में भंडार क्रय नियमों तथा प्रशिक्षण निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार व्यय किया जायेगा। इस हेतु प्रमुख मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:–

प्रशिक्षण के दौरान रू. 100/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से व्यय किया जायेगा। यह व्यय निम्नानुसार नार्म्स के आधार पर किया जायेगा:–

- 30/–रूपये स्टेशनरी प्रति व्यक्ति एक बार (रिपोर्टिंग एवं डाक्यूमेंटेशन, फीडवर्क, प्रपत्र, प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट की फोटोकापी आदि)
- 50/– रूपये भोजन एवं आवास प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (नगद भुगतान)
- टी.ए. द्वितीय श्रेणी का निकटतम मार्ग के लिए देय होगा
- 2000/– रूपये आकस्मिक व्यय का उपयोग आकस्मिकता में नियमानुसार किया जाये यथा प्रशिक्षण तथा आवास व्यवस्था,पेयजल व्यवस्था,बिजली व्यवस्था,साफ–सफाई, परिवहन व्यवस्था, प्रचार–प्रसार आदि।

**13/ अन्य निर्देश :–**

**(क)** जिन जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग के हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की संख्या कम है वहॉ के जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिलें के प्रशिक्षण कार्यक्रम को निकटस्थ जिले के प्रशिक्षण के साथ सम्बद्ध कर सम्पन्न करा सकते है। यथा धार जिला इन्दौर जिले के साथ, शहडोल जिला रीवा के साथ, बुरहानपुर खंडवा के साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

**(ख)** दिनॉक 08 सितम्बर से 13 सितम्बर, 2008 तक भोपाल में अंग्रेजी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ है, इसमें भिण्ड, ग्वालियर, अशोकनगर, शाजापुर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर एवं सतना जिलों के प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित नहीं हुये हैं। दिनॉक 08 सितम्बर से 13 सितम्बर, 2008 तक इंदौर में संस्कृत विषय का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ है, जिसमें कटनी, नरसिंहपुर, सीधी एवं सतना जिलों के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित नहीं हुये हैं। संभागीय संयुक्त संचालक नियमानुसार इन अनुपस्थित जिलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें तथा निकटस्थ जिलों के प्रशिक्षण में इन जिलों हेतु मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित कराया जा सकता है ।

**14/ प्रयोगशाला सहायकों का प्रशिक्षणः–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु– 14 अनुसार जिला स्तर पर हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में पदस्थ प्रयोगशाला सहायक (सहायक शिक्षक विज्ञान) अथवा प्रयोगशाला प्रभारी को भी प्रशिक्षित किया जाना है। इस हेतु संभाग स्तर पर विज्ञान तथा गणित विषय के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स ही जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का कार्य करेंगे तथा जिले के प्रत्येक हाई स्कूल से एक तथा हायर सेकेंडरी के गणित एवं जीव विज्ञान संकाय के एक–एक प्रयोगशाला सहायक (सहायक शिक्षक विज्ञान) अथवा प्रयोगशाला प्रभारी को प्रशिक्षित करेंगे।

**15/ प्रशिक्षण प्रतिवेदन तथा डाक्यूमेंटेशनः–**

संदर्भित पत्र क्र. 01 एवं 02 के बिन्दु– 15 अनुसार रहेगा।

**( बी.आर. नायडू )**
आयुक्त
लोक शिक्षण (म. प्र.)

पृ.क्र.विद्या/टी/08/2702 भोपाल, दिनॉक 17/08/2008

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल

आयुक्त
लोक शिक्षण (म. प्र.)